

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 1973/वोष 19, 1894

N.J. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 1973/PAUSA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January 1973

No. A. 11013/E/122/72-Ad. IV.—The Government of India have decided to appoint a Committee to examine the present Tobacco Excise Tariff in all its aspects with a view to having a judicious and rational tariff structure and administering this tariff effectively, efficiently and economically through simplified practical procedures. The Committee will be composed of the following:—

Chairman

Shri Sivaraman, former Cabinet Secretary and now Vice-Chairman of the National Commission on Agriculture, New Delhi.

Members

1. Shri B. N. Banerji, former Chairman of the Central Board of Excise and Customs; former Special Secretary to the Government of India in the Ministry of Foreign Trade; and former Chairman of the Tariff Commission.
2. Shri J. Banerjee, Member (Central Excise), Central Board of Excise and Customs.

Shri Daya Sagar, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, will act as Secretary to the Committee.

2. The Committee will have the following terms of reference:—

- (i) To review the working of the Tobacco Excise Tariff as in force at present in all its aspects including its merits and demerits and particularly to enquire—
 - (a) whether the physical form criterion in the Tobacco Tariff has served the purpose for which it was introduced, particularly when the actual use of tobacco still continues to determine the final rate of duty applicable to tobacco;
 - (b) whether it is necessary to prescribe different rates depending upon the end-use of tobacco;
 - (c) whether all tobacco can be subjected to one flat rate of duty and, if not, the categories into which tobacco should be divided for purposes of classification and the criteria to be adopted for such classification; and
 - (d) feasibility of eliminating duty on tobacco grown in sparse growing areas or alternatively evolving a compounded levy for tobacco grown in such areas.
- (ii) To review the existing administrative arrangements for assessment and collection of duty and to consider the simplification of these arrangements and procedures so as to safeguard the interests of revenue and economise on staff by a judicious rationalisation of checks on growers and curers and intensification of checks at revenue-yielding points. The Committee will keep in view the overall position that a large complement of staff remains engaged on the administration of excises other than tobacco and it may not be possible to exclusively employ the staff for tobacco excise work at all points;
- (iii) To review the existing system of storage in curers' premises and in warehouses, movement in-bond; whether the in-bond movements should be restricted and the period for which in-bond storage should be allowed;
- (iv) To consider the question of losses in tobacco occurring due to dryage and the method to be adopted for condoning these including the feasibility of dispensing with accountal of losses by suitable adjustment of duty rates taking into normal dryage of different varieties and making the warehouse licensee or curer or dealer accountable for the entire quantity received; and
- (v) To make any other recommendations germane to objectives of this enquiry.

3. The Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) by middle of July, 1973.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. R. YARDI, Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973

सं० ए० 11013/ई/122/72-प्रज्ञा-IV.—भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जो वर्तमान तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ के सभी पहलुओं की,

एक विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत टैरिफ संग्रचना बनाने एवं सरलीकृत व्यावहारिक कार्याविधियों के जरिये इस टैरिफ का प्रभावी तौर पर, दक्षतापूर्वक और मितव्ययता के साथ प्रशासन करने की दृष्टि से जांच करेगी। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष : श्री बी० शिवरामन,
भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव,
तथा वर्तमान उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय कृषि आयोग, नई दिल्ली।

सदस्य : 1. श्री बी० एन० बनर्जी,
भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड;
भूतपूर्व विशेष सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार तथा टैरिफ
कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष।
2. श्री जे० बनर्जी,
सदस्य (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क),
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड।

भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारी श्री दया सागर, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2. समिति के निर्देश पद निम्नानुसार होंगे —

(i) वर्तमान में लागू तम्बाकू उत्पादन-शुल्क टैरिफ के कार्य-चालन के सभी पहलुओं की उसके गुणावगुणों सहित, समीक्षा करना तथा विशेषतः इस बात की जांच करना कि —

(क) तम्बाकू टैरिफ में जिस प्रयोजन के लिए वास्तविक किस्म-कसौटी लागू की गई थी, क्या वह प्रयोजन सिद्ध हो सका है, विशेषतः तब जब कि तम्बाकू का वास्तविक उपयोग हो, तम्बाकू पर लागू होने योग्य शुल्क की प्रतिशत दर को निर्धारित करने का अभी भी आधार बना हुआ है ;

(ख) तम्बाकू के अन्य-प्रयोग पर निर्धारित करते हुए, क्या विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है ;

(ग) क्या सभी प्रकार के तम्बाकू पर शुल्क की एक समान दर लगाई जा सकती है और यदि नहीं तो वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिये तम्बाकू को कितनी श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए तथा देने वर्गीकरण के लिए अपनाई जाने वाली कसौटियाँ क्या हों; तथा

(घ) तम्बाकू उगाने वाले विद्यरे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली तम्बाकू पर शुल्क समाप्त किए जाने की व्यावहारिकता अथवा विकल्पतः, ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली तम्बाकू के लिए एक निश्चित शुल्क प्रणाली खोज निकालना।

(ii) शुल्क-निर्धारण तथा उपरान्त उक्तों के लिए की गई वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा इन व्यवस्थाओं और कार्याविधियों के सरलीकरण पर विचार करना ताकि राजस्व के हितों की रक्षा की जा सके, तथा तम्बाकू उगाने

वालों तथा उसे सिझाने] वालों पर रखे जाने वाले नियंत्रणों के विवेकपूर्ण युक्तियुक्तीकरण द्वारा कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में किरायत करना तथा राजपत्र प्रदान करने वाले स्थलों पर नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाना । समिति इस समग्र स्थिति को ध्यान में रखेगी कि तम्बाकू में भिन्न उत्पादन शुल्कों के प्रशासन पर कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या कार्यरत रहती है तथा सभी स्थलों पर तम्बाकू उत्पादन शुल्क कार्य के लिये कर्मचारियों की दृश्य रूपा में नियुक्ति करना कदाचित् संभव नहीं हो सके ;

(iii) तम्बाकू सिझाने वालों के परिसरों तथा गोदामों में तम्बाकू रखने एवं बंध-पत्र के अधीन तम्बाकू लाने ले जाने की प्रवर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना ; बंध-पत्र के अधीन तम्बाकू लाने ले जाने को सिमित रखा जाना चाहिए तथा बंध-पत्र के अधीन तम्बाकू को गोदाम में रखने की अनुमति कितनी अवधि के लिए प्रदान की जानी चाहिए ;

(iv) सूखे के कारण तम्बाकू में होने वाली हानियों के प्रश्न और इनको माफ करने के लिए अपनाये जाने वाले ढंग पर विचार करना जिसमें विभिन्न किस्मों के तम्बाकू में सामान्यतया होने वाले सूखे को ध्यान में रखते हुए शुल्क की दरों के उपयुक्त समायोजन द्वारा हानियों का हिसाब-किताब रखने से छुटकारा पाने की व्यवहार्यता भी शामिल है तथा माल-गोदाम के लाइसेंस-धारक अथवा सिझाने वालों या व्यापारी को उनके द्वारा प्राप्त की गई पूरी मात्रा के लिए उत्तरदायी ठहराने पर विचार करना ; तथा

(v) इस जांच के उद्देश्यों से सम्बन्धित कोई अन्य सिफारिश करना ।

5. समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीसा विभाग) को जुलाई, 1973 के मध्य तक देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाना है कि पंकज की क प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाय तथा इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

मधुकर यादव, सचिव ।